झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ
2. झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 2000 की धारा 5 की उपधारा (2) का संशोधनः–

झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

प्रस्तावनाः–

बिहार राज्य के पुर्नगठन के पश्चात अविभाजित बिहार राज्य में लागू बिहार सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1954 को नगर विकास विभाग के अधिसूचना संख्या–2098, दि०–23.8.2002 के द्वारा झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 2000 के रूप में छविगृह के निर्माण एवं संचालन के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य में अंगीकृत किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 में छविगृहों के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क अधिकतम 5,000/– रू० निर्धारित है।

चूँकि उक्त अधिनियम वर्ष 1954 में अधिनियमित हुआ है, अनुज्ञप्ति शुल्क वर्त्तमान बाजार मूल्य की तुलना में काफी कम है। ऐसी स्थिति में वर्तमान महँगाई दर एवं बाजार मूल्य को देखते हुए अनुज्ञप्ति शुल्क में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है। इस हेतु उक्त अधिनियम में प्रावधानित अनुज्ञप्ति शुल्क की अधिकतम सीमा को विलोपित करना आवश्यक है ।

उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में अनुज्ञप्ति शुल्क की निर्धारित अतिकतम सीमा को विलोपित किये जाने पर एक ओर जहाँ अनुज्ञप्ति शुल्क को महँगाई एवं बाजार मूल्य के अनुपात में सुसंगत रूप से निर्धारित किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर शुल्क में वृद्धि होने से राज्य के राजस्व पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा ।

झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 2000 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के 66वें वर्ष झारखण्ड राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ**

(i) यह अधिनियम, झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह राजकीय गजट/ई–गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. **झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 2000 की धारा 5 की उपधारा (2) का संशोधनः–**

शब्द "सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ रूपये 5,000" जो " द सेड एक्ट " के बाद लिखा हुआ है को विलोपित किया जाता है।

यह विधेयक झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 64--50--18-1-2016 ।